रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 484] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 5, 1985/कार्तिक 14, 1907
No. 484] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 5, 1985/KARTIKA 14, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 5, नवम्बर, 1985

सं. 329/85 सीमा शुल्क

सा. का. नि. 828 (अ): केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय,

राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 52/85 सीमाशुल्क, तारीख 4 मार्च, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना के प्रारम्भिक पैरा में :

(क) शर्त (iii) का लोप किया जाएगा; और

(ख) शर्त (iv) का शर्त (iii) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

[फा. सं. 355/221/85 सी. शु. I]
एम. एन. बिस्वास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 1985

No. 329|85-CUSTOMS

G.S.R. 828(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 52|85-Customs, dated the 4th March, 1985, namely :—

In the said notification, in the opening paragraph,—

(a) condition (iii) shall be omitted ; and

(b) condition (iv) shall be renumbered as condition (iii).

[F. No. 355|221|85-Cus-I.]
M. N. BISWAS, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985